प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी ....नारायणखेड़ा.... व भू.अ. निरिक्षक ....नारायणखेड़ा.... तहसील रायपुर

मौकाजी, निवेदन है कि ग्राम तेज्याखेड़ी के खसरा नं. 55 में पूर्व का नाम बालूलाल पिता मोहनलाल शर्मा के बजाय बालूराम पिता मोहनलाल शर्मा किया जाना उचित है आगे कार्यवाही पेश है

14/10/21

प. नारायणखेड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरिक्षक के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ा के खाता नं 55 में बालूलाल पि. मोहनलाल शर्मा के बजाय बालूराम पिता मोहनलाल शर्मा दर्ज किया जाना उचित है

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक प्रगा. सं. / 2021 / 32/2021 (2021/226) दि. 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व जांच भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार रायपुर व [illegible] के आधार पर ग्राम तेज्याखेड़ा के ख.न. 55 में महज [illegible] बालूलाल पि. मोहनलाल शर्मा के बजाय बालूराम पि. मोहनलाल शर्मा शुद्ध किया जावे, [illegible] राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

14.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिक[illegible]
रायपुर(भीलवाड़[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

बालुराम पिता मोहनलाल शर्मा निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 32 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थी बालुराम पिता मोहनलाल शर्मा निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 55 में किता 4 रकबा 2.15 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी बालुलाल पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम बालुलाल पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण के बजाय बालुलाल पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम बालुराम पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 55 में बालुलाल पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण के बजाय बालुराम पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार बालुलाल पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण के बजाय बालुराम पुत्र मोहनलाल ब्राहम्ण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:11:21 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	